उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून।

पता– अल्पसंख्यक कल्याण भवन बी0 ब्लॉक, शहीद भगत सिंह कालोनी, निकट छात्रावास, अधोईवाला, देहरादून।
फोन/फैक्स नं0 0135-2781157 website www.ukmadarsaboard.org.in, email ukmadarsaboard@gmail.com

पत्रांक 512 /उ.म.शि.प./अ.फा.परीक्षा–21/2021–22 दिनांक 12 दिसम्बर,2020

प्रेषक,

निदेशक,
उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद,
देहरादून।

सेवा में,

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,
हरिद्वार/ऊधमसिंह नगर/नैनीताल/देहरादून।

विषयः– **शैक्षिक सत्र 2021 की मुंशी/मौलवी/आलिम/कामिल एवं फ़ाज़िल परीक्षा के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।**

महोदय,

शैक्षिक सत्र 2021 की मुंशी/मौलवी/आलिम/कामिल एवं फ़ाज़िल परीक्षा के सम्बन्ध में

दिशा–निर्देश।

उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून द्वारा संचालित मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल एवं फाज़िल परीक्षा वर्ष 2021 के आयोजन के सम्बन्ध में रूपरेखा तैयार की गई है उक्त परीक्षाओं को संचालित किये जाने हेतु निम्नुसार दिशा–निर्देश संसूचित किये जाते है–

1. अरबी फारसी परीक्षा वर्ष–2021 के परीक्षा फार्म बिना विलम्ब शुल्क के दिनांक 02 दिसम्बर, 2020 से 20 दिसम्बर, 2020 तक विलम्ब शुल्क के 21.12.2020 से 24.12.2020 तक कार्यालय की वेबसाइट (**www.ukmadarsaboard.org.in**) से ऑनलाईन भरे जायेंगे।
2. मान्यता प्राप्त मदरसे, मान्यता की शर्तों के अनुसार ही परीक्षा फार्म अग्रसारित करेंगे। **मान्यता प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।**
3. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या जिनके द्वारा परीक्षा फार्म भेजा जायेगा उनका यह दायित्व होगा **कि अलग–अलग परीक्षाओं के लिये परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क अलग–अलग चालान के माध्यम से जमा करेंगे।** भरे हुए परीक्षा फार्मों के साथ प्रत्येक परीक्षा की धनराशि का मूल चालान संलग्न कर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालयों में जमा कराये जायेंगे।

4. प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या का यह दायित्व होगा कि परीक्षा फार्म का अग्रसारण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि परीक्षा फार्म भली भांति स्पष्ट लिपि में भरे हुये हैं एवं निर्धारित स्थान पर फोटो चस्पा किया गया है आदि।

5. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी फार्मों का परीक्षण करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी परीक्षा फार्म पूर्ण रूप से भरे हुए हैं तथा ऐच्छिक (अख़्तियारी) विषय पूर्ण रूप से भरा हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि मदरसे के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कर दिया गया है तथा चालान संख्या परीक्षावार फार्मों में भरी गई है या नही।

6. परीक्षा शुल्क/अंकपत्र शुल्क परीक्षा वर्ष–2021 हेतु संस्थागत व व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के अलग–अलग निम्न रूप से निर्धारित हैं:–

संस्थागत–

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	बालकों के लिये परीक्षा शुल्क (प्रतिछात्र)	विलम्ब शुल्क सहित परीक्षा शुल्क	अंक पत्र शुल्क	योग (रु0में) 3+5	विलम्ब शुल्क सहित योग (रु0में) 4+5	बलिकाओं के लिये परीक्षा शुल्क (प्रतिछात्रा)	विलम्ब शुल्क सहित परीक्षा शुल्क	अंक पत्र शुल्क	योग (रु0में) 8+10	विलम्ब शुल्क सहित परीक्षा शुल्क (रु0में) 9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. 2. 3. 4.	मुंशी/मौलवी आलिम कामिल फ़ाज़िल	60/– 70/– 80/– 90/–	100/– 120/– 140/– 160/–	20/– 20/– 20/– 20/–	80/– 90/– 100/– 110/–	120/– 140/– 160/– 180/–	50/– 60/– 70/– 80/–	70/– 80/– 90/– 100/–	20/– 20/– 20/– 20/–	70/– 80/– 90/– 100/–	90/– 100/– 110/– 120/–

व्यक्तिगत :–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. 2. 3. 4.	मुंशी/मौलवी आलिम कामिल फ़ाज़िल	90/– 110/– 130/– 150/–	150/– 190/– 230/– 270/–	20/– 20/– 20/– 20/–	110/– 130/– 150/– 170/–	170/– 210/– 250/– 290/–	70/– 80/– 90/– 100/–	120/– 130/– 150/– 170/–	20/– 20/– 20/– 20/–	90/– 100/– 110/– 120/–	140/– 150/– 170/– 190/–

उक्त परीक्षा शुल्क एवं अंकपत्र शुल्क ट्रेजरी चालान द्वारा परीक्षावार (मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल, एवं फाजिल) अलग–अलग निम्न लेखाशीर्षक में दिनांक 02 दिसम्बर, से 20 दिसम्बर, 2020 तक बिना विलम्ब शुल्क तथा 24 दिसम्बर, 2020 तक विलम्ब शुल्क के साथ जमा किया जायेगा।

लेखाशीर्षक:– 02 – मदरसों से प्राप्तियां
03 – परीक्षा शुल्क

अपूर्ण परीक्षा फार्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा ऐसे प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/संस्था जिनके द्वारा अपूर्ण परीक्षा फार्म भेजा जायेगा, उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

7. वही छात्र/छात्राऐं परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे जो फ़ौकानिया (कक्षा–6 से 8) उत्तीर्ण होने के आधार पर मुंशी/मौलवी की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की होगी। व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के परीक्षा फार्म अग्रसारित करते समय सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या फ़ौकानिया उत्तीण छात्र/छात्राओं के परीक्षा फार्म अग्रसारित करेंगे एवं अंकपत्र की प्रमाणित छायाप्रति परीक्षा फार्म के साथ संलग्न करेंगे तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रों के अनुसार ही जन्म तिथि अंकित करें।

8. मुंशी/मौलवी परीक्षा के परीक्षार्थी की आयु 15 वर्ष अनिवार्य होनी चाहिये।

9. मुंशी/मौलवी परीक्षा के व्यक्तिगत फार्म भरने के सम्बन्ध में यह आवश्यक होगा कि परीक्षार्थी किसी मकतब/दारूल उलूम मदरसे जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट या मान्यता प्राप्त मदरसे में कम से कम तीन साल तक संस्थागत छात्र के रूप में शिक्षा ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र फार्म के साथ संलग्न करें अथवा उर्दू/अरबी/फारसी में से किसी एक विषय के साथ कक्षा 8/कक्षा 10 उत्तीर्ण होने की अंक तालिका परीक्षा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा कक्षा 8 उपरान्त एक साल का अंतराल अनीवार्य है।

10 .आलिम अरबी/फारसी का व्यक्तिगत फार्म भरने के लिए आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी ने किसी मदरसा शिक्षा परिषद से मुंशी/मौलवी स्तर की परीक्षा पास की हो अथवा मदरसा शिक्षा परिषद के अतिरिक्त किसी अन्य बोर्ड से अरबी, फारसी एवं उर्दू में से किसी एक विषय के साथ हाईस्कूल स्तर की परीक्षा पास की हो।

11. कामिल प्रथम वर्ष की व्यक्तिगत परीक्षा का फार्म भरने हेतु उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद की आलिम/किसी बोर्ड अथवा प्रसिद्ध/प्रतिष्ठित एवं विश्वसनीय मदरसा से अरबी अथवा फारसी विषय के साथ इण्टर स्तर की परीक्षा पास की हो। संस्थागत अभ्यर्थियों हेतु पूर्व की व्यवस्था लागू रहेगी।

12. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपने स्तर से भी परीक्षा की समय सारिणी एवं निर्देशों का प्रचार/प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से कराते हुए जनपद के समस्त मान्यता प्राप्त/अनुदानित मदरसों के प्रधानाचार्यों की बैठक कर उक्त के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित कर लें।

13. **वर्ष–2021की परीक्षायें परीक्षा वर्ष–2021 की भांति नये निसाबे तालीम पर ही आधारित होंगी तथा नये पाठ्यक्रम के अनुसार ऐच्छिक विषय निम्नवत् हैं उनमें से केवल एक ही विषय लिया जायेगा। ऐच्छिक विषय में संशोधन उपरान्त परीक्षा फार्म जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को सम्बन्धित मदरसों द्वारा नियत समय के भीतर उपलब्ध कराना होगा। फ़ाजिले तिब का परीक्षा फार्म नहीं भरा जायेगा और न ही स्वीकार होगा।**

14. **मुंशी/मौलवी**–1. मैथ, 2. होम साइंस (केवल बालिकाओं हेतु), 3. माकूलात, 4. सोशल साइंस, 5. साइंस 6. तिब 7. कम्प्यूटर ।

आलिम अरबी/आलिम फारसी– 1. होम साइंस (केवल बालिकाओं हेतु), 2. जनरल हिन्दी, 3. माकूलात, 4. तिब, 5. सोशल साइंस, 6. साइंस, 7. मैथ 8. कम्प्यूटर ।

कामिल अरबी प्रथम, द्वितीय, अन्तिम वर्ष–1. माकूलात, 2. परशियन लिटरेचर, 3. उर्दू लिटरेचर, 4. जनरल इंगलिश, 5. हिस्ट्री ऑफ इस्लाम।

कामिल फारसी प्रथम, द्वितीय एवं अन्तिम वर्ष–1. माकूलात, 2. अरबिक लिटरेचर, 3. हिस्ट्री आफ इस्लाम, 4. जनरल इंगलिश, 5. उर्दू लिटरेचर।

विस्तृत जानकारी कार्यालय के दूरभाष/फैक्स सं0– 0135–2781157 पर प्राप्त की जा सकती है।कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र जोशी)
निदेशक

पृष्ठांकन सं0: ––– **तद्दिनांक।**

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, हरिद्वार/ऊधमसिंह नगर/नैनीताल/देहरादून।
3. उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. उप रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद देहरादून।
5. सम्बन्धित मदरसाज़।

निदेशक